265

R-869-II/13

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला– छतरपुर

राजेन्द्र प्रसाद साहू पुत्र स्व. बंन्दी साहू
निवासी – ग्राम इटोरा तहसील कुलपहाड
जिला महोवा उ.प्र.

..... आवेदक

विरूद्ध

1. मीरावाई पत्नी स्व. परम लाल साहू
   निवासी – खगरया मोहल्ला महाराज पुर हाल निवास ग्राम मझोली जिला जबलपुर म.प्र.
2. श्रीमती गढावाई पत्नी बन्दी साहू
3. रामकिशोर साहू पुत्र स्व. बन्दी साहू
4. बारेलाल साहू पुत्र स्व. रामदीन साहू
5. गोरी शंकर साहू पुत्र स्व. रामदीन साहू
6. सुन्दर लाल साहू पुत्र स्व. रामदीन साहू
7. लक्ष्मीवाई पत्नी रामदीन साहू
   निवासी – ग्राम इटोरा तहसील कुलपहाड़ जिला महोवा उ.प्र.
8. श्रीमती लाडकुवर पुत्री स्व. रामदीन साहू पत्नी लक्ष्मन साहू
   निवासी – कछवा तहसील राठ जिला हमीर पुर उ.प्र.

..... अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 110/अ–27/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21.01.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

(1) यहकि, अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) यहकि, आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष इस आशय की आपत्ती प्रस्तुत की गयी थी कि अनावेदकगण द्वारा जिस प्रश्नाधीन भूमि के बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उक्त भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है ऐसी स्थिति में प्रकरण में कोई कार्यवाही नही की जानी चाहियें इस वैद्यानिक तथ्य पर विचार किये

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-869-दो/2013 जिला छतरपुर राजेन्द्र विरूद्ध मीराबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019 16.01.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 110/अ-27/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 21-01-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-03-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 16.01.19 सदस्य	